26.10.16

पत्रावली पेश हुई। बकुलाम उपस्थित/पीठासीन अधिकारी [illegible] पर होने से पत्रावली दिनांक 21.12.16 को पेश हो।

21/12/16

पत्रावली पेश हुई। बकुलाम उपस्थित/पीठासीन। अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण। पत्रावली दिनांक 22/2/17 को पेश हो।

22.2.17

पत्रावली पेश हुई। बकुलाम उपस्थित/पीठासीन अधिकारी [illegible] होने से पत्रावली दिनांक 26.5.17 को पेश हो।

केम्प - मादा दिनांक 11.5.2017.

पत्रावली केम्प मादा प्रस्तुत हुई। वादी प्रतिवादी उपस्थित। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर संलग्न किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय एवं डिक्री पर्चा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार देसूरी व पटवारी मादा को भिजवाई जावे। विभाजन की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर इजराय पत्रावली पृथक से कायम की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या सकम हो।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

मौ.ली.मां.प. पृथ्वी सिंह नेरेसिंह जो रखता है
डी नरसिंह
ने नहीं है
जो रखता है
Mangilal

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी लोक अदालत केम्प कोर्ट–मादा

पीठासीन अधिकारी :– **श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.**
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 78/2010
दायरा तिथि : 19.08.2010
निर्णय तिथि : 11.05.2017

वादीः–
सुरजमल पुत्र खुशालसिंह
जाति पुरोहित निवासी मादा
तहसील देसूरी, जिला–पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मांगीलाल पुत्र रूपसिंह
2. प्रेमसिंह पुत्र रूपसिंह
3. पुष्पा पुत्री रूपसिंह
   जातिगण पुरोहित निवासीगण–मादा
   तहसील देसूरी, जिला–पाली (राज.)
4. तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार की ओर से)

: निर्णय :

दिनांक : 11.05.2017

दावा बाबत 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार, शिविर मादा मे पेश हुई। पक्षकारान् को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुये जो शामिल मिसल किये गये। वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल उपस्थित। उपस्थित प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूमि मौजा मादा के खसरा संख्या 55, 212, 368, 428, 429, 826, 827, 828, 829, 830, 831 कुल खसरा 11 कुल रकबा 4.27 हैक्टर किस्म बा.अ., बा.दो, गे.मु. कुल लगानी 48.74/– रूपये के अधिकार अभिलेखो मे दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने बाबत सहमति दी। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात सरहद मादा स्थित भूमि खसरा संख्या 55, 212, 368, 428, 429, 826, 827, 828, 829, 830, 831 कुल खसरा 11 कुल रकबा 4.27 हैक्टर किस्म बा.अ., बा.दो, गे.मु. कुल लगानी 48.74/– रूपये के

पेज लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

राजस्व वाद संख्या 78/2010 अनवान सुरजमल बनाम मांगीलाल वगैरा

अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अधिकार अभिलेखो मे दर्ज हिस्सानुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है।

प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का मादा को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि वे पक्षकारो मे बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन कर विभाजन रिपोर्ट न्यायालय मे पेश करे। विभाजन मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट मे रखी भूमि का पृथक–पृथक ब्यौरा यथा खसरा संख्या, रकबा, किस्म भूमि, लगान ईत्यादि दर्शाते हुये तथा आवागमन के लिये रास्ता की उपलब्धता रखते हुये मय नजरी नक्शा मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि को पृथक–पृथक रंगो से दर्शाते हुये रिपोर्ट पेश की जावे। विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर पृथक से ईजराय पत्रावली कायम कर प्रकरण मे नियमानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **11.05.2017** को मजमा–ए–आम मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
([illegible])
पीठासीन अधिकारी
देसूरी (पाली)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
दिनांक 11.05.2017

क्रमॉक/केम्प कोर्ट/2017/
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ :–

1. तहसीलदार, देसूरी
2. पटवारी हल्का, मादा

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]
देसूरी (पाली)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
केम्प–मादा

प्रपत्र 5

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) मादा

पीठासीन अधिकारी :– **श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.**

वादीः–
सुरजमल पुत्र खुशालसिंह
जाति पुरोहित निवासी मादा
तहसील देसूरी, जिला–पाली (राज.)

ब ना म

प्रतिवादीगण :–

1. मांगीलाल पुत्र रूपसिंह
2. प्रेमसिंह पुत्र रूपसिंह
3. पुष्पा पुत्री रूपसिंह
   जातिगण पुरोहित निवासीगण–मादा
   तहसील देसूरी, जिला–पाली (राज.)
4. तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार की ओर से)

दावा बाबत **53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**
मुकदमा नम्बर :– **78/2010**
निर्णय दिनांक :– **11.05.2017**

वादी की ओर से **वादी उपस्थित** व प्रतिवादी की ओर से **प्रतिवादी संख्या–1** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **11.05.2017** को (नाम पीठासीन अधिकारी) **राजेश मेवाडा आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात सरहद मादा स्थित भूमि खसरा संख्या 55, 212, 368, 428, 429, 826, 827, 828, 829, 830, 831 कुल खसरा 11 कुल रकबा 4.27 हैक्टर किस्म बा.अ., बा.दो, गे.मु. कुल लगानी 48.74/– रूपये के अधिकार अभिलेखो मे दर्ज हिस्सानुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है।

प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का मादा को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि वे पक्षकारो मे बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन कर विभाजन रिपोर्ट न्यायालय मे पेश करे। विभाजन मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट मे रखी भूमि का पृथक–पृथक ब्यौरा यथा खसरा संख्या, रकबा, किस्म भूमि, लगान ईत्यादि दर्शाते हुये तथा आवागमन के लिये रास्ता की उपलब्धता रखते हुये मय नजरी नक्शा मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि को पृथक–पृथक रंगो से दर्शाते हुये रिपोर्ट पेश की जावे। विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर पृथक से ईजराय पत्रावली कायम कर प्रकरण मे नियमानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **11.05.2017** को मजमा–ए–आम मे सुनाया गया।

(राजेश मेवाडा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
केम्प–मादा